न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 09/2020-21

सुरेश प्रसाद पिता श्री मुद्रिका प्रसाद – अपीलकर्त्ता
ग्राम–सुकला कॉलनी हिनु, थाना–डोरण्डा, जिला–राँची।

बनाम्

अंचल अधिकारी, कर्रा। – विपक्षी

आदेश का क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई
09.11.20	अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।	

आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–570R27/19-20 में अंचल अधिकारी, कर्रा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.10.19 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित हैः–

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
लोधमा	कर्रा 162	50 50	01 49	0.81½ 0.18½ **1.00**

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, कर्रा के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा एवं अपील संस्थित करने वो सुनवाई का प्रर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद में अंगीकार किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि मौजा–लोधमा, थाना–कर्रा के उक्त भूमि जिसकी कुल रकबा 1.00 एकड़ है जिसे भोलानाथ सिंह पिता स्व0 रामनाथ सिंह वो मुरारी प्रसाद सिंह पिता स्व0 रामनाथ सिंह ग्राम–हाकाजांग, थाना–कर्रा से विक्रय पट्टा सं0 435/418 दिनांक 29.03.2011 से क्रय की गयी है। वर्णित जमीन RS खतियानी में धीरजु राम कोटवार का नावल्द स्वर्गवास हो गया वो धीरजु राम कोटवार के भई खतियानी रैयत के वंशजों के बीच भूखण्ड के आपसी बँटवारा हेतु माननीय सबजज–1, खूँटी के न्यायालय में बँटवारा वाद सं0– 56/1981 में दिनांक 28.07.05 को पारित डिग्री आदेश एवं इजराय वाद सं0– 10/2005 में 13.04.2007 द्वारा पारित आदेश से उपरोक्त खाता नं0– 50, प्लॉट नं0– 01, रकबा– 1.63 एकड़ वो प्लॉट नं0– 49, रकबा– 3.02 एकड़ में 2.17 एकड़ विक्रेतागण को हिस्सा में प्राप्त हुआ।

अंचल अधिकारी, कर्रा के प्रतिवेदन अनुसार उक्त भूमि पर आवेदक का स्पष्ट दखल नहीं होने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।

अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया की इजराय वाद सं0— 10/200[illegible] में दिनांक 13.04.2007 को न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आदेश से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, कर्रा द्वारा 13.03.07 को उपरोक्त जमीन पर दखल दिलाया गया है। अंत में अधिवक्ता द्वारा दाखिल खारिज स्वीकृत करने का प्रार्थना करते है।

अधिवक्ता के बहस को सुना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन करने के पश्चात् पर्याप्त आधार पाते हुए अपीलकर्ता का अपील स्वीकार किया जाता है। अंचल अधिकारी, कर्रा को आदेश दिया जाता है कि अपीलकर्ता के नाम दाखिल खारिज करते हुए पंजी 2 में दर्ज कर सरकारी रसीद निर्गत करें।

लेखापित एवं संषोधित

09/11/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

09/11/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।